

धारा 4(1)(बी)(i): इसके संगठनों, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण: पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग, केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन) नियम), 1972 (अब 2021) के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के पेंशन एवं सेवानिवृत्ति हितलाभों से संबंधित नीतियां तैयार करने के लिए नोडल विभाग के रूप में 1985 में स्थापित किया गया था। केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों/कुटुंब पेंशनभोगियों के लिए पेंशन संबंधी नीति तैयार करने के अतिरिक्त यह विभाग पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भी तत्पर रहता है और पेंशनभोगियों की शिकायतों का निपटारा करने वाले मंच के रूप में कार्य करता है। यह विभाग तीसरी मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट नई दिल्ली-110003 में स्थित है।

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा किए जा रहे कार्य निम्नानुसार हैं:

1. केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगियों) के सेवानिवृत्ति हितलाभों से संबंधित मामलों संबंधी नीति का निर्माण और समन्वय (सिविल, रक्षा और रेलवे पेंशनभोगी)।
2. निम्न का प्रशासन -
 - क) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन) नियमावली, 1921;
 - ख) केंद्रीय सिविल सेवा(पेंशन का संराशीकरण) नियमावली, 1981;
 - ग) केंद्रीय सिविल सेवा(असाधारण पेंशन) नियमावली, 2023;
 - घ) सामान्य भविष्य निधि(केंद्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960
 - ड.) सीपीएफ(भारत) नियमावली, 1962
 - च) बकाया पेंशन का संदाय (नामांकन) नियमावली, 1983
 - छ) केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों से संबंधित कोई अन्य योजना, जो विभाग को सौंपी गई हो।
3. पेंशन संरचना और पेंशनभोगियों को राहत।
4. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त लाभों की नई सुविधाएं।
5. पेंशन नियमों अथवा पेंशन या सेवानिवृत्ति हितलाभों से संबंधित किसी अन्य नियम में संशोधन या छूट से संबंधित मामले
6. केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के कल्याण से संबंधित नीति और समन्वय।

नोट: उपरोक्त 3 के संबंध में की गई कार्रवाई वित्त मंत्रालय की सहमति के अध्यक्षीन होगी। किसी नियम में छूट या उदारीकरण के माध्यम से आवर्ती वित्तीय निहितार्थों से जुड़े अन्य मामलों के संबंध में कोई भी कार्रवाई पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग और वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के बीच सहमति के अनुसार, दिशानिर्देशों के अध्यक्षीन होगी।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के नागरिक चार्टर के अनुसार 'विज्ञान' और 'मिशन' नीचे दिए गए हैं:

विज्ञान

पेंशनभोगियों का सक्रिय एवं गरिमापूर्ण जीवन।

मिशन

- i. पेंशन नीति का निर्माण।
- ii. केंद्र सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों का समय पर और सुचारु भुगतान।
- iii. नियमों/दिशानिर्देशों एवं प्रक्रिया का सरलीकरण एवं उनका प्रचार-प्रसार।
- iv. पेंशन संबंधी शिकायतों का त्वरित निवारण करना।
- v. पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देना।

संगठनात्मक चार्ट

